पंजाब राज्य

कस्तूरी लाल और अन्य

जुलाई 28, 2004

[एस.एन. वरियावा और अरिजीत पसायत, जे.जे.]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955-धारा 3 और 10-वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947-1947 के आदेश के उल्लंघन के लिए कंपनी के निदेशकों और उत्पादन प्रबंधक के खिलाफ आरोप तय किए गए।

उच्च न्यायालय ने माना कि उत्पादन प्रबंधक को मुकदमे और आरोप का सामना करना पड़ेगा और निदेशकों के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया-धारणा की शुद्धता: उच्च न्यायालय ने निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करना उचित नहीं ठहराया क्योंकि पार्टियों द्वारा अभी तक इस बात का सबूत नहीं दिया गया था कि क्या निदेशक कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार थे या नहीं-हस्तक्षेप की भी गुंजाइश है एक आदेश के साथ आरोप तय करना सीमित है-दंड प्रक्रिया संहिता, डी 1973-धारा 482।

प्रतिवादी निदेशक हैं और पी वनस्पति तेल उत्पाद बनाने वाली कंपनी के उत्पादन प्रबंधक हैं। विशेष न्यायाधीश ने कथित उल्लंघन के लिए प्रतिवादियों और पी के खिलाफ आरोप तय किए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7(1)(d)(ii) में निहित प्रावधानों के उत्तरदाताओं

ने आरोप तय करने का विरोध किया क्योंकि पी को कंपनी द्वारा प्रभारी और आचरण के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार होने के लिए नामित किया गया था। व्यवसाय, किसी अन्य को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। आरोपी व्यक्ति ने विशेष न्यायाधीश के आदेश की सत्यता पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की उच्च न्यायालय ने माना कि केवल पी को मुकदमे और आरोप का सामना करना होगा और उत्तरदाताओं के संबंध में आरोपों को खारिज कर दिया क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई निश्चित सामग्री नहीं थी कि वे व्यवसाय चलाने के प्रभारी थे और/या उसके लिए जिम्मेदार थे।

अपीलकर्ता-राज्य ने तर्क दिया कि आरोप तय करने के चरण में यह पता लगाने की आवश्यकता थी कि क्या आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री थी और उच्च न्यायालय को इस बात की जांच नहीं करनी चाहिए थी कि क्या शिकायतकर्ता ने स्थापित किया कि उत्तरदाताओं का संबंध था और व्यवसाय चलाने के लिए जिम्मेदार है। उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी।

उनमें से कोई भी कंपनी या उसके आचरण का प्रभारी और जिम्मेदार था। कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:-

1. जब पक्षों द्वारा अभी तक सबूत पेश नहीं किए गए थे, तो उच्च न्यायालय तथ्यों की धारणा के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका कि कंपनी के प्रतिवादी-निदेशक आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

व्यापार। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों के संबंध में लगाए गए आरोप को रद्द करना उचित नहीं था। ट्रायल कोर्ट पक्षों द्वारा रखे गए साक्ष्यों और सामग्रियों पर उचित परिप्रेक्ष्य में और कानून के अनुसार विचार करेगा। [166-ई-जी;166-डी-ई]

2.1. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत यदि धारा 3 के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, तो जिन व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है, वे हैं (1) स्वयं कंपनी, (2) प्रत्येक व्यक्ति जो, जिस समय उल्लंघन किया गया था, वह कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था और उसे कंपनी का प्रभारी व्यक्ति कहा जा सकता था, और (3) कोई भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी जिनकी सहमति या मिलीभगत से या जिनकी उपेक्षा के कारण अपराध किया गया है। किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति या उन सभी पर मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। धारा 10 में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यदि कंपनी पर स्वयं मुकदमा नहीं चलाया गया है तो कंपनी के प्रभारी व्यक्ति या अधिकारी पर अलग से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उनमें से प्रत्येक या किसी पर अलग से या कंपनी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। कंपनी के प्रभारी व्यक्ति या अधिकारी को उस क्षमता में दोषी ठहराए जाने से पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि (यहां कंपनी द्वारा आदेश का उल्लंघन

किया गया है। [162-एफ-एच; 163-ए-सी]

श्योरतन अग्रवाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, [1984 4 एससीसी 353, संदर्भित।

1:2. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित क्षेत्राधिकार। पी.सी., 1973 हालांकि व्यापक रूप से सावधानी से, सावधानीपूर्वक और सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल तभी जब ऐसा अभ्यास विशेष रूप से अनुभाग में निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित हो। अकेले एच के प्रशासन के लिए वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए इसे पूर्व डेबिटो जस्टिसिया का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अदालतें मौजूद हैं और यदि उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है अन्याय उत्पन्न करने के लिए, न्यायालय के पास ऐसे दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। मैं शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के लिए किसी भी कार्यवाही को रद्द करना उचित होगा यदि उसे पता चलता है कि इसे शुरू करना/जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या इन कार्यवाहियों को रद्द करने से अन्यथा बी न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी। जब शिकायतकर्ता द्वारा किसी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, तो न्यायालय तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकता है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या आरोप पूरी तरह से स्वीकार कर लिए

जाने पर भी कोई अपराध बनता है, इसका आकलन करने के लिए सामग्रियों पर गौर करने की अनुमति है। इसके अलावा, संहिता की धारा 482 के संदर्भ में ऑर्डर फ्रेमिंग चार्ज में हस्तक्षेप की गुंजाइश बेहद सीमित है। [163-एच;164-ए-सी;163-डी]

आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1960) एससी 866; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, [1992] पूरक। 1 एससीसी 335 और राजलक्ष्मी मिल्स बनाम शक्ति भाकू, [2002] 8 एससीसी 236, का उल्लेख किया गया है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 743/2003

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 1998 आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 326 में के निर्णय और आदेश दिनांक 4.1.2002 से।

अपीलकर्ता की ओर से नरेश बख्शी और बिमल रॉय जद।

पी.एन. प्रतिवादी के लिए पुरी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अरिजीत पसायत, जे.

अनुमति स्वीकृत।

पंजाब राज्य 1998 के आपराधिक संशोधन संख्या 326 में पंजाब

और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/482 के तहत एक याचिका दायर की गई थी। धारा 7 (1) (d)(ii) में निहित प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए वर्तमान उत्तरदाताओं और एक प्रेम मोहन तिवारी के खिलाफ आरोप तय करने वाले विद्वान विशेष न्यायाधीश, संगरूर द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए संक्षेप में 'कोड') आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम')।

विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16.9.1997 के आदेश द्वारा आरोप तय किया गया था कि अधिनियम की धारा 3(1) के तहत संशोधित वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 (संक्षेप में 'नियंत्रण आदेश') के प्रावधानों का उल्लंघन था। वनस्पति तेल उत्पाद के नमूने 29.4.1992 को मेसर्स संगरूर वनस्पति मिल्स लिमिटेड के परिसर से लिए गए थे और विश्लेषण करने पर नमूने में 20% की अनुमत सीमा के मुकाबले 78% विलायक सरसों का तेल पाया गया। धारा 173 के तहत चालानसंहिता विशेष न्यायाधीश, संगरूर की अदालत में दायर की गई थी और वर्तमान उत्तरदाताओं और पूर्वोक्त प्रेम मोहन तिवारी को आरोपी व्यक्तियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। आरोपी प्रेम मोहन तिवारी जहां कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर थे, वहीं अन्य लोग कंपनी के निदेशक थे। विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियुक्तों ने विभिन्न आधारों पर आरोप तय करने

का विरोध किया. उनके तर्क का मुख्य मुद्दा यह था कि चूंकि प्रेम मोहन तिवारी को कंपनी द्वारा व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होने के लिए नामित किया गया था, इसलिए किसी और को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। याचिका को स्वीकृति नहीं मिली और विद्वान विशेष न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 7(1)(a)(ii) के तहत आरोप तय किया। अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक पुनरीक्षण और आपराधिक विविध दायर किया। 1998 की संख्या 16907-एम भी संहिता की धारा 173 के तहत चालान को रद्द करने के लिए दायर की गई थी जिसे आपराधिक पुनरीक्षण के साथ लिया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान अपील में दिए गए फैसले से उच्च न्यायालय ने माना कि जहां तक अन्य को खारिज किए जाने की बात है तो केवल प्रेम मोहन तिवारी को ही मुकदमे और आरोप का सामना करना था। यह माना गया कि यह दिखाने के लिए कोई निश्चित सामग्री नहीं थी कि वे व्यवसाय चलाने के प्रभारी थे और/या उसके लिए जिम्मेदार थे।

पंजाब राज्य के विद्वान वकील के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत है। आरोप तय करने के चरण में केवल यह पता लगाना आवश्यक था कि क्या आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री है। इस स्थिति में, उच्च न्यायालय को इस बात की गहन जांच नहीं करनी चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता ने वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए वर्तमान उत्तरदाताओं के साथ जुड़े होने और व्यवसाय

चलाने के लिए जिम्मेदार होने के बारे में स्थापित किया है।

जवाब में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि उनमें से कोई भी व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और/या जिम्मेदार था। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय अपने विचार में उचित था।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए अधिनियम की धारा 10 पर ध्यान देना आवश्यक होगा । उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

> "(1) यदि धारा 3 के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन के समय कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था, को दोषी माना जाएगा। उल्लंघन करने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी और दंडित किया जाएगा:
>
> बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित करता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे।
>
> (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया

है और यह साबित हो गया है कि अपराध सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या किसी उपेक्षा के कारण किया गया है कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी जैसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण इस अनुभाग के प्रयोजन के लिए, -

(ए) "कंपनी" का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट निकाय से है, और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

(बी) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ फर्म में भागीदार है।"

हमारे दिमाग में यह अनुभाग बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि धारा 3 के अंतर्गत किये गये आदेश का उल्लंघन हो एक कंपनी द्वारा है, जिन व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है, वे हैं (1) स्वयं कंपनी, (2) प्रत्येक व्यक्ति जो, उल्लंघन के समय, कंपनी का प्रभारी था, और इसके लिए जिम्मेदार था कंपनी के व्यवसाय का संचालन जिसे संक्षेप में हम कंपनी के प्रभारी व्यक्ति के रूप में वर्णित करेंगे, और (3) कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी जिसकी सहमति या मिलीभगत से या उपेक्षा के कारण जिसके

कारण अपराध किया गया है, जिसे हम संक्षेप में कंपनी के एक अधिकारी के रूप में वर्णित करेंगे। उनमें से किसी एक या अधिक या सभी पर मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। अकेले कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। केवल प्रभारी व्यक्ति पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है। मिलीभगत करने वाले अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है। एक, कुछ या सभी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 10 उन व्यक्तियों को इंगित करती है जिन पर कंपनी द्वारा उल्लंघन किए जाने पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यदि कंपनी पर स्वयं मुकदमा नहीं चलाया गया है तो कंपनी के प्रभारी व्यक्ति या अधिकारी पर अलग से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उनमें से प्रत्येक या किसी पर अलग से या कंपनी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 10 में उस व्यक्ति को सूचीबद्ध किया गया है जिसे दोषी ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है यदि कोई कंपनी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन करती है। स्वाभाविक रूप से, कंपनी के प्रभारी व्यक्ति या अधिकारी को उस क्षमता में दोषी ठहराए जाने से पहले यह स्थापित किया जाना चाहिए कि कंपनी द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया है।

श्योरातन अग्रवाल एवं अन्य में उपरोक्त स्थिति पर प्रकाश डाला गया।

संहिता की धारा 482 के संदर्भ में आदेश निर्धारण शुल्क में हस्तक्षेप की गुंजाइश बेहद सीमित है। इस प्रकृति के मामले में संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग अपवाद है, नियम नहीं। यह धारा उच्च न्यायालय को कोई नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करती है। यह केवल उस अंतर्निहित शक्ति को बचाता है जो संहिता के लागू होने से पहले न्यायालय के पास थी । इसमें तीन परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है जिसके तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्, (i) संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, (ii) अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और (iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए। किसी भी अनम्य नियम को निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है जो अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के अभ्यास को नियंत्रित करेगा। प्रक्रिया से संबंधित कोई भी विधायी अधिनियम संभवतः उत्पन्न होने वाले सभी मामलों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है। इसलिए, अदालतों के पास कानून के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा अंतर्निहित शक्तियां हैं जो कानून द्वारा उन पर लगाए गए कार्यों और कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हैं। यह वह सिद्धांत है जो उस धारा में अभिव्यक्ति पाता है जो केवल उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है। सभी अदालतें, चाहे वे दीवानी हों या फौजदारी, उनके संविधान में निहित किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, ऐसी सभी शक्तियाँ जो न्याय प्रशासन के दौरान सही कार्य करने

और गलत को पूर्ववत करने के लिए आवश्यक हैं। धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपील या पुनरीक्षण अदालत के रूप में कार्य नहीं करता है। इस धारा के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से किया जाना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से, सावधानीपूर्वक और सावधानी से किया जाना चाहिए और केवल तभी जब ऐसा प्रयोग धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित हो। इसका प्रयोग पूर्व डेबिटो जस्टिटिया के प्रशासन के लिए वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए अकेले अदालतें मौजूद हैं। न्यायालय का अधिकार न्याय की उन्नति के लिए मौजूद है और यदि अन्याय उत्पन्न करने के लिए उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो न्यायालय के पास ऐसे दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। किसी भी कार्रवाई की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा मिलने में बाधा आएगी। शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के लिए किसी भी कार्यवाही को रद्द करना उचित होगा यदि उसे लगता है कि इसे शुरू करना/जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या इन कार्यवाहियों को रद्द करना अन्यथा न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगा। जब शिकायतकर्ता द्वारा किसी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, तो अदालत तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकती है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और

क्या आरोप पूरी तरह से स्वीकार कर लिए जाने पर भी कोई अपराध बनता है, इसका आकलन करने के लिए सामग्रियों पर गौर करने की अनुमति है। शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के लिए किसी भी कार्यवाही को रद्द करना उचित होगा यदि उसे लगता है कि इसे शुरू करना/जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या इन कार्यवाहियों को रद्द करना अन्यथा न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगा। जब शिकायतकर्ता द्वारा किसी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, तो अदालत तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकती है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या आरोप पूरी तरह से स्वीकार कर लिए जाने पर भी कोई अपराध बनता है, इसका आकलन करने के लिए सामग्रियों पर गौर करने की अनुमति है। शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के लिए किसी भी कार्यवाही को रद्द करना उचित होगा यदि उसे लगता है कि इसे शुरू करना/जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या इन कार्यवाहियों को रद्द करना अन्यथा न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगा। जब शिकायतकर्ता द्वारा किसी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, तो अदालत तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकती है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या आरोप पूरी तरह से स्वीकार कर लिए जाने पर भी कोई अपराध बनता है, इसका आकलन करने के लिए सामग्रियों पर गौर करने की अनुमति है।

आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1960 एससी 866) में, इस न्यायालय ने मामलों की कुछ श्रेणियों का सारांश दिया जहां कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

(i) जहां यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि संस्था या निरंतरता के खिलाफ कोई कानूनी बाधा है, उदाहरण के लिए मंजूरी की कमी;

(ii) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में अंकित आरोपों को अंकित मूल्य पर लिया गया है और पूरी तरह से स्वीकार किया गया है, वे कथित अपराध का गठन नहीं करते हैं;

(iii) जहां आरोप एक अपराध है, लेकिन कोई कानूनी सबूत पेश नहीं किया गया है या सबूत स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से आरोप साबित करने में विफल रहता है।

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992 सप्लिमेंट (1) एससीसी 335) में श्रेणियों की गणना इस प्रकार की गई थी:-

"(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया गया हो और पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ संलग्न

अन्य सामग्री में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है। संहिता की धारा 155(2) के दायरे में ।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए सबूत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं।

संज्ञेय अपराध, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत माना गया है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत

आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां कोई विशिष्ट प्रावधान है संहिता या संबंधित अधिनियम, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।"

कुछ इसी तरह का प्रावधान परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में एनआई अधिनियम) की धारा 141 में निहित है । इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में उक्त प्रावधान के दायरे और दायरे की जांच की गई है। राजलक्ष्मी मिल्स बनाम शक्ति भाकू (2002) 8 एससीसी 236 में तीन जजों की बेंच ने इस प्रकार फैसला सुनाया:-

"अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ-साथ उसके बहनोई अनूप भाकू के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी, क्योंकि मेसर्स सतलज निटवियर्स द्वारा जारी किए गए चेक के अनादर के कारण, जिसमें से अनूप भाकू थे। और प्रतिवादी भागीदार थे। मजिस्ट्रेट द्वारा

पारित समन आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी द्वारा आरोपमुक्त करने का आवेदन असफल होने के बाद प्रतिवादी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 141 के प्रावधानों को लागू किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि प्रतिवादी व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी या जिम्मेदार नहीं था, इसलिए उसे बुलाने का आदेश कानून की दृष्टि से गलत था।

हमारी राय है कि सम्मन के चरण में जब पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना बाकी था, उच्च न्यायालय तथ्यों की धारणा के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था कि प्रतिवादी व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं था। केवल इसी आधार पर, इन अपीलों की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है।"

उपरोक्त स्थिति के अनुसार, हमारा विचार है कि जहां तक वर्तमान उत्तरदाताओं का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए आरोप को रद्द करना उचित नहीं था। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि ट्रायल कोर्ट पक्षों द्वारा रखे गए साक्ष्यों और सामग्रियों पर उचित परिप्रेक्ष्य में और कानून के अनुसार विचार करेगा। ऊपर बताई गई सीमा तक अपील

स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कल्पना पारीक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।